

संख्या :-22/निदे0/औषधि/निगरानी-20-47/2021-2070(D) राँची, दिनांक:- 21.X.21.

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

संकल्प

विषय : राज्य के प्रत्येक जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम वासियों को औषधियाँ सुलभतापूर्वक उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत के सुदूर ग्रामों में कम-से-कम एक औषधि विक्रय संस्थान की स्थापना के संबंध में।

1. प्रस्तावना एवं उद्देश्य : . . .

1.1 किसी भी बीमारी के इलाज हेतु औषधियों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण घटक है। राज्य के सभी नागरिकों तक आवश्यक औषधियों को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। झारखण्ड राज्य एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसे ससमय चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ आवश्यक औषधियों की समय पर उपलब्धता अत्यावश्यक है।

1.2 ग्रामीण क्षेत्रों में औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 एवं विनिर्मित नियमावली, 1945 के अन्तर्गत विहित प्रावधानों की परिधि में प्रत्येक ग्राम पंचायत के सुदूर ग्रामों में कम-से-कम एक औषधि विक्रय संस्थान की स्थापना जनहित में की जानी है।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में औषधि एवं अंगराग नियमावली, 1945 के नियम 61(1) एवं 61(2) के तहत जनहित में ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत के सुदूर ग्रामों में Restricted License औषधि अनुज्ञप्ति प्रपत्र 20A(Restricted licence to sell, stock or exhibit for sale, or distribute drugs by retail other than those specified in Schedules C, C(I) and X for dealers who do not engage the services of a qualified person) एवं प्रपत्र 21A(Restricted licence to sell, stock or exhibit for sale, or distribute by retail drugs specified in Schedules C(I) [excluding those specified in Sch. X] for dealers who do not engage the services of a qualified person) निर्गत करने हेतु निम्न वर्णित निर्णय लिए जाते हैं:-

2.1 राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में सुदूर ग्रामों में वैसी औषधियों की बिक्री हेतु, जिसके लिए Pharmacist की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, प्रपत्र 20A एवं 21A में औषधि अनुज्ञप्ति निर्गत की जायगी।





- 2.2 Restricted license प्राप्त संस्थान (20A,21A में अनुज्ञप्ति प्राप्त संस्थान) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी के संपर्क में रहेंगे एवं उनकी सेवा प्राप्त करेंगे ताकि ग्रामीण स्तर पर तत्परतापूर्वक रोगियों को औषधियाँ, जिसकी विवरणी परिशिष्ट-2 पर संलग्न है, उपलब्ध कराई जा सके।
- 2.3 Prescription Drugs एवं Other life saving drugs की उपलब्धता बनाए रखने हेतु भौगोलिक दृष्टिकोण से आस-पास की 2-3 पंचायतों में कम-से-कम एक विक्रय प्रतिष्ठान, जिसमें Pharmacist नियुक्त हो अर्थात् प्रपत्र 20 (Licence to sell, stock or exhibit for sale, or distribute drugs by retail other than those specified in Schedules C, C(I) and X), एवं प्रपत्र 21(Licence to sell, stock or exhibit for sale, or distribute by retail drugs specified in Schedules C and C(I) [excluding those specified in Sch. X] में औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त हो, के द्वारा सभी प्रकार की औषधियाँ तथा "Life saving drugs" अन्य ग्राम पंचायतों के सुदूर ग्रामों में संचालित प्रपत्र 20A एवं 21A में औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रतिष्ठानों को उनके अनुरोध पर आपूर्ति कराई जाएँगी।

प्रपत्र 20A एवं 21A में प्राप्त औषधि अनुज्ञप्ति प्रतिष्ठानों के पास ऐसे संसाधनों की उपलब्धता अपेक्षित है ताकि आवश्यकता पड़ने पर सभी प्रकार के life saving drugs को Registered Medical Practitioner के Prescription पर प्रपत्र 20 एवं 21 में अनुज्ञप्ति प्राप्त संस्थान से रोगी के नाम पर औषधि प्राप्त कर रोगी को उपलब्ध कराई जा सके।

- 2.4 प्रसंगाधीन औषधि अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने हेतु कम से कम 10 वर्ग मीटर का पक्का, हवादार एवं साफ-सुथरा कमरा होना चाहिए।

3. योजना के लाभ :

- 3.1 ग्रामीण क्षेत्रों में भरीजों को ससमय औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
- 3.2 आवश्यकता पड़ने पर खुदरा औषधि विक्रेता (प्रपत्र 20 एवं 21 अनुज्ञप्तिधारी) के माध्यम से सभी प्रकार की औषधियाँ ग्रामीणों को उपलब्ध करायी जा सकेंगी।
- 3.3 शिक्षित ग्रामीणों के रोजगार एवं आय स्रोत के साधन में वृद्धि होगी।

4. योजना का क्रियान्वयन :

- 4.1 ग्राम पंचायतों के सुदूर ग्रामों में कम-से-कम एक औषधि विक्रय प्रतिष्ठान खोलने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशित की जाएगी।

- 4.2 यदि किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या पाँच हजार से अधिक है तो ऐसे ग्राम पंचायत में दो औषधि विक्रय प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे।
- 4.3 इच्छुक व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन (परिशिष्ट-1) मुखिया/पंचायत सचिव द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जिसमें आवेदक का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, दुकान खोले जाने वाले स्थान का प्लॉट नं०, खाता नं०, क्षेत्रफल, कार्य का अनुभव, यदि हो, तो इससे संबंधित सूचना आवेदन में अंकित होना चाहिए।
- 4.4 प्राप्त आवेदनों को संबंधित पंचायत के मुखिया/पंचायत सचिव द्वारा अनुशंसा के साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा।
- 4.5 प्राप्त आवेदनों को अंतिम रूप से समीक्षोपरांत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं औषधि निरीक्षक की संयुक्त अनुशंसा के साथ आवेदन उस क्षेत्र के अनुज्ञापन प्राधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा।
- 4.6 प्राप्त आवेदनों की अनुशंसा किए जाने के क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी:--
- 4.6.1 शैक्षणिक योग्यता – आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी तथा उच्चतर योग्यता को वरीयता दी जाएगी। समान योग्यता की स्थिति में विज्ञान विषय में उत्तीर्ण व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता एवं पूर्णांक के समान होने की स्थिति में उच्चतर अथवा विशेष योग्यता अथवा प्रशिक्षण को वरीयता निर्धारण में आधार माना जाएगा। किसी भी शैक्षणिक योग्यता की समतुल्यता के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का होगा।
- 4.6.2 संबंधित गाँव के स्थायी निवासी को आवेदन में प्राथमिकता दी जाएगी।
- 4.6.3 किसी ग्राम पंचायत में अधिक जन संख्या वाले ग्राम में अवस्थित आवेदित संस्थान को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 4.6.4 स्वयं के स्वामित्व वाले दुकान के आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 4.6.5 अनुशंसित आवेदक को xnindia.gov.in पर विहित प्रपत्र में निर्धारित नियमानुकूल शुल्क के साथ आवेदन करेंगे। आवेदन करने में कठिनाई की स्थिति में स्थानीय औषधि निरीक्षक कार्यालय द्वारा इस हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।





- 4.6.6 अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा संबंधित पंचायत के ग्रामीणों को विभागीय Help line No-104 के साथ समन्वय स्थापित करते हुए Tele-medicine एवं Tele-Consultancy सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएँगी।
- 4.6.7 कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत इच्छुक समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को अनुमान्य सहायता उपलब्ध कराई जाएँगी।
- 4.6.8 संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा इच्छुक एवं पात्र अनुज्ञप्तिधारियों को पारस्परिक समन्वय स्थापित करते हुए बैंक से ऋण दिलवाने में सहायता प्रदान की जाएगी।
5. अन्यान्य :
- 5.1 जिला के उपायुक्त के द्वारा ग्राम पंचायत के मुखिया/पंचायत सचिव एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अनुश्रवण, अनुपालन एवं प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक निदेश दिया जायेगा।
- 5.2 लाभुक एवं स्थल चयन की जिम्मेवारी मुखिया/पंचायत सचिव की होगी, जिसपर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 5.3 Restricted license (प्रपत्र 20A एवं 21A) प्राप्त संस्थानों को जिला स्तर पर औषधि निरीक्षकों एवं चिकित्सकों के द्वारा दुकान के सुलभ संचालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायगा।
6. निर्गत की गई अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्तों का चयनित अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव


स्वस्थ चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
झारखण्ड, राँची।

Handwritten signature

ज्ञापांक-22/निदे0/औषधि/निगरानी-20-47/2021-2070(D) राँची, दिनांक:- 21.10.21.
 प्रतिलिपि:-सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 21.10.21
 सरकार के अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक-22/निदे0/औषधि/निगरानी-20-47/2021-2070(D) राँची, दिनांक:- 21.10.21.
 प्रतिलिपि:-अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य
 सेवायें/निदेशक, औषधि/सभी सिविल सर्जन/अवर सचिव, प्रशाखा-16 को सूचनार्थ एवं
 आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 21.10.21
 सरकार के अपर मुख्य सचिव



आवेदन प्रपत्र

01. प्रस्तावित संस्थान का नाम एवं पता:-----
02. आवेदक का नाम :------
03. पिता/पति का नाम :------
04. उम्र :------
05. वर्तमान पता:--ग्राम:-----
 पो0-----थाना-----
 जिला-----पिन कोड-----
 मो0 नं0 1----- 2-----
06. स्थायी पता:--ग्राम:-----
 पो0-----थाना-----
 जिला-----पिन कोड-----
 मो0 नं0 1----- 2-----
07. आधार कार्ड/वोटर आई कार्ड/अन्य सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्गत पहचान पत्र:-----
 (प्रति संलग्न करें)
08. पूर्व व्यवसाय :------
09. वर्तमान व्यवसाय :------
10. प्रस्तावित संस्थान की भूगृह्यादि का विवरणी :-
 प्लॉट संख्या:-----
 खाता संख्या:-----
 लम्बाई(मी0)----- चौड़ाई(मी0)----- क्षेत्रफल (वर्गमी0)-----
11. आवेदक की योग्यता:--
 शैक्षणिक योग्यता (प्रमाणपत्र संलग्न करें)



क्र० सं०	योग्यता	विशय	प्राप्तांक(प्रतिप्रात)
1.	मैट्रिक या समकक्ष		
2	इण्टरमीडिएट या समकक्ष		
3	स्नातक या समकक्ष		
4	स्नातकोत्तर या समकक्ष		
5	अन्य		
6	अन्य		

12. औषधि संस्थान में कार्य करने का अनुभव :- हाँ नहीं यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।
13. क्या आप गाँव के स्थायी निवासी है ? :- हाँ नहीं यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।
14. क्या आप प्रस्तावित संस्थान की भूगृह्यादि का स्वामी है ? :- हाँ नहीं यदि हाँ तो साक्ष्य संलग्न करें।
15. गाँव की जनसंख्या (लगभग)-----
16. वर्तमान में गाँव में कितने दवा दूकान संचालित है?-----

प्रामाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना एवं अनुलग्नक पूर्ण रूप से सही है , यदि सूचना में किसी भी प्रकार की गलती पाई गई तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी अधोहस्ताक्षरी की होगी।

स्थान..... दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर

List of Drugs Permitted to be Sold Under License in Form 20A and 21A

1. Aspirin Tablets.
2. Paracetamol tablets I.P.
3. Paracetamol syrup (pediatric)
4. Analgesic Balms
5. Antacid preparation
6. Gripe water for use of infants
7. Inhalers containing drugs for treatment of common colds and Nasal congestion [devoid of any schedule drugs],
8. Syrups, lozenges, pills and tablets for cough [devoid of any scheduled drugs],
9. Liniments for external use.
10. Skin ointments and ointments for burns.
11. Absorbent cotton wool, bandages, absorbent gauze and adhesive plaster.
12. Castor Oil
13. liquid Paraffin
14. Epsom Salt.
15. Eucalyptus Oil
16. Tincture Iodine,
17. Tincture Benzoin Co
18. Mercurochrome solution in containers not exceeding 100 ml.
19. Tablets of Quinine Sulphate I.P.
20. Tablets of Iodochlorohydroxy quinoline
21. Clove Oil I.P,
22. Oral rehydration salts
23. Calamine lotion
24. Povidone iodine solution 10 %
25. Medicated shampoos
26. Glycerine I.P.
27. Liquid paraffin I.P.

28. Surgical spirit
29. Antiseptic creams (Intended for topical or external use, except drugs containing steroids or hydroquinone)
30. Antiseptic solutions (Intended for topical or external use, except drugs containing steroids or hydroquinone)
31. Prickly heat powders
32. Anti lice preparations
33. Gentian violet solutions
34. Mechanical contraceptive.
35. Vaginal Contraceptive pessaries containing Nonoxynol
36. Chemical Contraceptive having DL-Norgestrel Ethinyloestradiol
37. Chemical Contraceptive having Levonorgestrel Ethinyloestradiol
38. Chemical Contraceptive having Centchroman
39. Chemical Contraceptive having Desogestrel Ethinyloestradiol
40. Chemical Contraceptive having Levonorgestrel Ethinyloestradiol
41. Cosmetics
42. Ophthalmic Ointments of the Tetracycline group of drugs
43. Hair Fixers namely mucilaginous preparations containing gums, used by men for fixing beard.
44. Tablets of Chloroquine Salts
45. Fish Liver Oil and preparations containing Fish Liver Oil.
46. Vitamins and preparations containing any vitamins not in a form to be administered parenterally
47. Liver extract and preparations containing liver extract not in a form to be administered parenterally.
48. Any other Drugs covered under Form 20A and 21A.

प्रपत्र

पंचायत स्तरीय औषधि विक्रय प्रतिष्ठान स्थापन प्रतिवेदन

जिला का नाम :

क्रमांक	प्रखण्ड	पंचायत (संख्या)	स्थापित औषधि विक्रय प्रतिष्ठान (संख्या)	अभ्युक्ति
---------	---------	-----------------	---	-----------

१०५